राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–**pr.rajbhavan@gmail.com**
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति के निदेशानुरूप कुल छः वित्त पदाधिकारियों और वित्तीय सलाहकारों के विरूद्ध कारण–पृच्छाएँ जारी हुईं

पटना, 25 अक्टूबर 2018

महामहिम राज्यपाल–सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन के निदेशानुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन कायम रख पाने में कार्य–शिथिल वित्त पदाधिकारियों एवं वित्तीय सलाहकारों से कारण–पृच्छाएँ माँगी गई हैं। आज निर्गत कारण–पृच्छाओं में इन अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनकी कार्य–शिथिलता, कर्त्तव्यहीनता, आदेश–अवहेलना, स्वेच्छाचारिता तथा प्रशासनिक विफलता को देखते हुए क्यों नहीं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय?

ज्ञातव्य है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत वित्त पदाधिकारियों और वित्तीय सलाहकारों को शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के सत्यापन, विश्वविद्यालयों के लेखा के अद्यतनीकरण एवं अंकेक्षण, 'GeM' के जरिये विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में खरीददारी सुनिश्चित कराने, कुलपतियों/प्रतिकुलपतियों/कुलसचिवों/महाविद्यालय निरीक्षकों के निरीक्षण–प्रतिवेदनों में पायी गई वित्तीय अनियमितताओं के निस्तारण आदि के दायित्व दिये गये थे, जिनका इनके द्वारा ससमय अनुपालन नही किया गया है।

आज महामहिम राज्यपाल श्री टंडन के निदेशानुरूप जिन तीन वित्तीय सलाहकारों के विरूद्ध कारण–पृच्छाएँ निर्गत की गई हैं, उनके नाम हैं – 1. श्री गुलाम मोहिऊद्दीन (तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर) 2. श्री ओम प्रकाश (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा) एवं 3. श्री बी॰के॰ मानिक (मगध विश्वविद्यालय, बोधगया)।

जिन तीन वित्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कारण–पृच्छाएँ निर्गत हुई हैं, वे हैं – 1. श्री हरिकेश नारायण सिंह (तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर) 2. श्री पद्माकर मिश्र (वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा) एवं 3. श्री राम नरेश प्रसाद सिंह (मगध विश्वविद्यालय, बोधगया)।

उपर्युक्त सभी छः अधिकारियों से आगामी 31 अक्टूबर, 2018 तक अपना स्पष्टीकरण अपने विश्वविद्यालय के कुलपति को समर्पित करने को कहा गया है। स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि इसी तिथि तक सीधे राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव को भी ई–मेल से भेजने के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया गया है। कुलपतियों से अपेक्षा की गई है कि वे समर्पित स्पष्टीकरणों पर अपना मंतव्य राज्यपाल सचिवालय को आगामी 02 नवम्बर तक भेज देंगे। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि संबंधित अधिकारियों को अपने विरूद्ध निर्गत कारण–पृच्छा के संदर्भ में कुछ भी स्पष्ट नहीं करना है और तद्नुरूप उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

.....